19.10.22 प्रार्थी वकील उप.।

बहस सुनी गयी

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी

सं. 1 ता 22 की संयुक्त खातेदारी के कस्बे जाहर की

भूमि मौजा कालानाडा के खं.नं. 556, 558 व 559 आया

हुआ का विवरण कि ख.नं. 558 व 559 में प्रार्थीगण

1 से 5 की जोत का 1/5 हिस्सा (प्रत्येक का 5/25) तथा

ख.नं. 556 में प्रार्थीगण की जोत का 125/3528 (प्रत्येक

का 25/3528) हिस्सा है जिसके मौके पर पश्चात

अप्रा. 2 हिस्से की भूमि पर काबिज का प्रत्यर्थीगण काबिज

के हिस्से की भूमि पर पक्का कब्जा करते हुए किसी

आपत्ति कुआ को बयान करने पर आमादा है। ऐसी

स्थिति में विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त

की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थगन एवं मौके की

यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करावे।

हमने प्रार्थीपत्र के वकील की बहस पर मनन एवं

पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि के प्रार्थीगण

एवं विपक्षीगण [illegible] खातेदार हो तथा अप्रा. 2 हिस्से

की भूमि पर काबिज है। चूंकि मूल वाद प्रारम्भिक प्रक्रम

की स्तर पर विचाराधीन है ऐसी स्थिति में यदि मौजे

की संयुक्त भूमि के कब्जे [illegible] [illegible] इत्यादि

किया है तो पक्षकारों के मध्य [illegible] [illegible] जारी

[illegible] पर [illegible] [illegible] प्रार्थीगण का आवेदन

स्वीकार किये जाने के कोई आधार प्रतीत नहीं होते।

विवादित प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार

किया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की

भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत व हिस्से की भूमि तक

मौके रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की पाबन्दी किये जाना

जावे की बाबत पत्रावली संबंधित कार्यवाही की बाबत कायम हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:24 IST
Reason: SelfAttested